ECONOMIC TIMES HINDI, Delhi, 6.3.2018
Page No. 8, Size:(5.56)cms X (21.48)cms.

मोबाइल नंबर से आधार लिंक्ड है या नहीं, जान सकेंगे कस्टमर

| पीटीआई | नई दिल्ली |

यूआईडीएआई (यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपने ग्राहकों को ऐसी सुविधा देने को कहा है जिससे उन्हें यह पता चल सके कि उनका सिम कार्ड आधार नंबर से लिंक्ड है या नहीं। यूआईडीएआई ने आधार का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए यह कदम उठाया है। यूआईडीएआई को इससे पहले यह जानकारी मिली थी कि कुछ रिलेटर्स, ऑपरेटर्स और टेलीकॉम कंपनियों के एजेंट आधार ऑथेन्टिकेशन फैसिलिटी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग नया सिम जारी करने और मोबाइल नंबर को वेरिफाई करने के लिए आधार का गलत इस्तेमाल कर रहे थें। एजेंट्स के किसी दूसरे के आधार नंबर पर दूसरे व्यक्ति को सिम कार्ड इश्यू करने के मामले सामने आए थे।

सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपने ग्राहकों को 15 मार्च तक ऐसी फैसिलिटी देने के लिए कहा गया है

यूआईडीएआई ने टेलीकॉम कंपनियों को सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उनके रिटेलर्स या एजेंट किसी तरह की धोखाधड़ी की गतिविधियों को अंजाम न दें। यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने कहा, 'लोगों को यह जानने का अधिकार है कि उनका मोबाइल किस आधार नंबर से रजिस्टर्ड है। इसलिए हमने सभी टेलीकॉम कंपनियों को 15 मार्च तक ऐसी फैसिलिटी अपने ग्राहकों को देने को कहा है।' इस फैसिलिटी के बाद कस्टमर्स एसएमएस के जरिए यह जान सकेंगे कि उनका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक्ड है या नहीं। इस तरह ग्राहकों को इस बात की भी जानकारी मिलेगी कि उनके आधार नंबर पर कितने मोबाइल नंबर लिंक्ड हैं। टेलीकॉम कंपनियों से कहा गया है कि अगर कोई नंबर गलत तरीके से किसी दूसरे के आधार पर लिंक्ड है तो वे इस मामले में कड़ा कदम उठाएं और नंबर को बंद कर दें।

अभी तक देश में 1.2 अरब लोगों ने आधार के लिए एनरोल करवा लिया है। 12 डिजिट वाले यूनीक नंबर में फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन जैसी दूसरी कई डिटेल्स मौजूद हैं। सरकार ने अपनी कई स्कीमों में आधार कार्ड को जरूरी बना दिया है।